फर्द अहकाम

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

राज0 सरकार बनाम प्रहलाद वगै0

किस्म मुकदमा— प्रा0पत्र                                                    मु0नं0— 83/2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 5.4.23 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि तहसीलदार सिकराय द्वारा न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 132 एल0आर0 एक्ट 1956 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम पट्टी सलेहसिंह की की भूमि खसरा नम्बर 32 में 220 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 275/45 में से 160 वर्गमीटर , खसरा नम्बर 273/45 में से 52 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 274/45 में से 52 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 38 में से 80 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 43 में से 104 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 37 में से 440 वर्गमीटर भूमि मौके पर उक्त खसरा नम्बरान में श्मशान घाट के लिए पार्थिव देह को ले जाने के लिए चालू रास्ता बना है जिसपर पक्की ईंट मोरम आदि नहीं है लेकिन मौके पर कच्चा रास्ता चालू है जिसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।<br>इत्यादि पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित खातेदारान को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजाराम गुर्जर द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। खातेदार मांगू एवं सुरेश द्वारा आदेशिका पर रास्ते हेतु सहमति जाहिर की। शेष पक्षकारान की ओर से कई तारीख पेशी दिए जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया गया। बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि उक्त वर्णित प्रश्नगत भूमि में से मौके पर रास्ता चालू है लेकिन यह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है जिस दर्ज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।चूंकि उक्त रास्ता मौके पर चालू है जिसे नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु राज0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू—राजस्व नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के अन्तर्गत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु प्रावधान किए गए है।<br>अतः तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पट्टी सलेहसिंह की भूमि खसरा नम्बर 32 में से 55 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा कुल 220 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 275/45 में से 40 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा कुल 160 वर्गमीटर , खसरा नम्बर 273/45 में से 26 मीटर लम्बा एवं 2 मीटर चौड़ा कुल 52 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 274/45 में से 26 मीटर लम्बा एवं 2 मीटर चौड़ा | |

उपखण्डी अधिकारी
सिकराय (दौसा)

राज0 मुकदमा vs प्रह्लाद

कुल 52 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 38 में से 20 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा कुल 80 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 43 में से 52 मीटर लम्बा एवं 2 मीटर चौड़ा कुल 104 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 37 में से 110 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा कुल 440 वर्गमीटर भूमि के अलग से नम्बर कायम करते हुए रास्ते हेतु दर्ज भूमि को संबंधित खातेदार की खातेदारी का भाग रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावे। उक्तानुसार तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)